146

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम.के. सिंह**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2554-एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.07.2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/2012-13/अपील

....

बीरेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल शिवहरे
शिवहरे कॉलोनी, सबलगढ़,
हाल निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
शिवपुरी, जिला - शिवपुरी (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

1- रामदयाल पुत्र श्री बलवन्त,
2- रामजीलाल पुत्र मदनू,
3- सुरेश पुत्र श्री मदनू,
निवासीगण- शिवहरे कॉलोनी,
चंबल कॉलोनी के पीछे, सबलगढ़,
जिला - मुरैना (म0प्र0) -- अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक - श्री एल.एल. धाकड
अनावेदकगण के अभिभाषक - श्री डी.एस. चौहान एवं
अनावेदकगण के अभिभाषक - श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/ 1 /2017 को पारित)

यह अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/2012-13/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा शिवलाल का पुरा तहसील सवलगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 4/2 रकबा 0.063 आरे में से 40X40=1200 वर्गफुट का भूखंड रामदयाल, रामजीलाल, सुरेश ने 5-6-81 को क्रय किया। नामान्तरण के अभाव में यह भूखंड विक्रेता भूमिस्वामी मुन्नालाल नाई के नाम बना रहा और मुन्नालाल नाई ने पुनः इस भूखंड की भूमि को दिनांक 29-3-2006 को आवेदक को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र दिनांक 29-3-2006 के क्रेता ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दिनांक 3-7-2006 से नामांत्रण करा लिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपील प्रचलित रहने के दौरा रेल दुर्घना में अनावेदक क्रमांक-1 की मृत्यु हो गई। अनावेदकगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22(3) के नियम 3 के अंतर्गत मृतक के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये की प्रार्थना की गई, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि रामदयाल की मृत्यु आवेदन प्रस्तुत करने के पॉच माह पूर्व हो चुकी है इसलिये प्रकरण अवेट होने से निरस्त किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को श्रवण कर प्रकरण क्रमांक 25/12-13 अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 पारित किया तथा न्यायहित में व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22(3) के नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के

अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 25/12-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 से पॉच के विलम्ब से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22(3) के नियम 3 के आवेदन को स्वीकार किया है एंव मृतक रामदयाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये हैं। विचार योग्य है कि क्या रामदयाल की मृत्यु के कारण यदि प्रकरण को अवेट होना माना जाय, तब क्या संपूर्ण प्रकरण निरस्त होगा ? सामान्य नियम है कि मामला केवल मृतक के हित तक अवेट माना जावेगा, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अन्य पक्षकार भी हैं । प्रस्तुत निगरानी क्रमांक2554-एक/2014 के अवलोकन पर पाया गया है कि जब रामदयाल की मृत्यु पर विवाद होने के उपरांत राजस्व मण्डल में निगरानी की गई है मृतक रामदयाल को अनावेदक क्रमांक-1 बनाया गया है जबकि उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर निगरानी प्रस्तुत करना थी, जो नहीं की गई है। निगरानी में विचार करना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने रामदयाल की मृत्यु के उपरांत पांच माह वाद मृतक के वारिसान व्दारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने में भूल की है। बसन्ती वाई तथा अन्य विरूद्ध बाबूखॉ 1998 राजस्व निर्णय 332 में प्रतिपादित है कि अपील

न्यायालय ने विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाने के लिये विलम्ब से पेश किये गये आवेदन को विलम्ब क्षमा करते हुये स्वीकार किया। पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। विचाराधीन निगरानी में भी यही स्थिति है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/12-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 उचित होना पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/12-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-7-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर